न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर विश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व अपील संख्या : 01/2022
GCMS NO. : 2022/12

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह कौम– पुरोहित, निवासी– ग्राम निमाज, तहसील–जैतारण, जिला– पाली (राज0)		1. गोरधनसिंह पुत्र मोतीसिंह 2. सरपंच ग्राम पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 3. हल्का पटवारी निमाज पटवार मण्डल निमाज तहसील जैतारण 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत ग्राम पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण द्वारा पारित किया गया नामान्तरण संख्या 4070 दिनांक दिनांक 03.06.2014 को निरस्त कराने बाबत्

तारीख रजू:.11/01/2022

उपस्थितः– 1. श्री चावण्ड दान बारहठ, एम.एस. पठान, अधिवक्ता, अपीलान्ट।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 21/02/2024

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टस् इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज, प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.1018 हैक्टेयर(50–01 बीघा) खसरा नम्बर 49 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर 0.1538 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त खसरान् की जमाबन्दी खतौनी प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का एक भाग माना जावे। उक्त खसरान की भूमि को अपील में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उपर्युक्त वर्णित आराजी में श्री रावतसिंह पुत्र धूलसिंह कौम पुरोहित निवासी निमाज का 4/5 हिस्सा में से [illegible] हिस्से की भूमि में रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा रावतसिंह पुत्र धूलसिंह जी के देहान्त के बाद उनकी तमाम चल एवं अचल सम्पत्तियां की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी श्रीमति समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी पुरोहित को विरासत में प्राप्त हुई तथा रावतसिंह जी के देहान्त के बाद समदरकंवर विवादित कृषि भूमि पर पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा०)

हुई तथा राजस्व रेकर्ड में रावतसिंह जी के स्थान पर समन्दर बेवा रावत पुरोहित के नाम का इन्द्राज किया गया। समदरकंवर बेवा रावतसिंह जी वृद्धावस्था होने के कारण अपीलाण्ट भगवानसिंह एवं उनके भाईयों के साथ ही रहवास- निवास करने लगी, तथा सेवा चाकरी व रोटी कपड़ा, दवाई इत्यादि का खर्चा अपीलाण्ट वगैराह वहन करने लगे। इसी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर करीबन 82 साल की वृद्धावस्था के दौरान समदरकंवर बेवा रावतसिंह द्वारा अपनी अपनी खातेदार कृषि भूमि खसरा नम्बर 415, 418, 460, 461 एवं खसरा नम्बर 419, 420 में अपने 4/5 हिस्सा में से 1/2वां हिस्से की भूमि अपीलाण्ट भगवानसिंह व रेस्पोडेण्ट सं. एक गोरधनसिंह वगैरह को दिनांक 16.11.2000 को वसीयत में दे दी जिसका समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी द्वारा एक लिखित वसीयत नामा दिनांक 16.11,2000 को अपीलाण्ट भगवानसिंह वगैरा के पक्ष में तहरीर तकमील करवाकर उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां दिनांक 22.11.2000 को प्रस्तुत किया गया, जिसे उपपंजीयन अधिकारी जैतारण द्वारा पुस्तक संख्या तृतीय जिल्द सं. 3 कम संख्या 20 पृष्ठ संख्या 46 दिनांक 29.11.2000 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त वसीयत नामे की प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का एक भाग माना जावें। समन्दर बेवा रावतसिंह द्वारा अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि अपीलाण्ट भगवानसिंह एवं रेपोस्डेण्ट सं. एक गोरधनसिंह व उनके भाई ओमसिंह, राजेन्द्रसिंह पिसरान मोतीसिंह को वसीयत करनें के बाद विवादित कृषि भूमि पर अपीलाण्ट भगवानसिंह वगैराह काश्त करने लगे, तत्पश्चात् वर्ष 2012-2013 के दरम्याद समदरकंवर बेवा रावतसिंह का देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद लिखित पंजीबद्ध वसीयत नामा दिनांक 29.11.2000 के आधार पर विवादित कृषि भूमि में अपीलाण्ट भगवानसिंह को खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो गये व विवादित कृषि भूमि में समदरकंवर के हक हिस्से में से वसीयत नामा के अनुसार 1/4 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार काश्तकार अपीलाण्ट है इसी हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है व रेस्पोडेण्ट सं. एक गोरधनसिंह भी 1/4वां हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है 2/4वां हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार ओमसिंह, राजेन्द्रसिंह पिसरान मोतीसिंह जी पुरोहित है। इसी हिस्सानुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट वगैराह का मौके पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। समदरकंवर से वसीयत नामें से प्राप्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट भगवानसिंह दिनांक 19.12.2021 को जमीन की खड़ाई-बुवाई करने लगा, उस वक्त रेस्पोडेण्ट सं. एक गोरधनसिंह ने अपीलाण्ट को भूमि में खड़ाई-बुवाई करने से मना कर दिया, ओर कहा कि- समदरकंवर बेवा रावतसिंह जी के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन मेरे इस पर मौके पर वाद-विवाद होने पर दिनांक 21.12.2021 को राजस्व कर्मचारी से विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी [illegible] नामान्तरण संख्या 4070 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर [illegible] जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक गोरधनसिंह ने विवादित [illegible] हड़पने की नियत से बाले-बाले(चुपके-चुपके) समदरकंवर पत्नी स्व रा[illegible]सिंह जी को मुगालते में रखकर अपने पक्ष में दिनांक 24.11.2006 को फर्जी एवं कूटरचित गोदनामा निष्पादित करवा लिया तथा समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी के देहान्त के करीबन 3-4 साल बाद ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण से अपने पक्ष में जरिये नामान्तरण संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 को स्वीकृत करवा दिया, रेस्पोडेण्ट संख्या एक गोरधनसिंह द्वारा विवादित कीमति जमीन को हड़पने की नियत से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व सरपंच व पटवारी से सांठगांठ कर रेस्पोडेण्ट गोरधनसिंह ने अपने पक्ष पारित करवाया गया नामान्तरण संख्या 4070 /03.06.2014 अवैध एवं गैरकानूनी है उक्त म्युटेशन से रेस्पोडेण्ट को समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी की सम्पूर्ण जमीन में कानूनी रूप से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त नामान्तरण की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का एक भाग माना जावे। लिखित पंजीबद्ध वसीयत नामा दिनांक 29.11.2000 में विवादित कृषि भूमि का स्पष्ठ रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपीलाण्ट भगवानसिंह वगैराह को वसीयत में दी हुई है। उक्त लिखित पंजीबद्ध वसीयत नामा आज दिन तक प्रभावी है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इसलिये समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी के हिस्से की भूमि का नामान्तरण 4070/03.06.2014 एकमात्र रेस्पोडेण्ट सं. गोरधनसिंह के पक्ष में बिना विधिक जांच के पारित किया जाना कानूनी रूप से अवैध एवं गैरकानूनी है जो म्यूटेशन संख्या 4070 अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विरुद्ध शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है, जो काबिल मन्सूखी के है। नामान्तरण संख्या 4070/03.06.2014 जो रेस्पोडेण्ट सं. दो एवं तीन द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. एक के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है वो माफिक कानूनी काबिल निरस्तीकरण के है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन ने बिना जांच पड़ताल किये रेस्पोडेण्ट सं. एक के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने में भारी वाक्याती व कानूनी भूल की है जो म्यूटेशन संख्या 4070/03.06.2014 काबिल अपास्त योग्य है। उक्त नामान्तरण यदि अस्तित्व में रह जाता है तो भविष्य मे अपीलाण्ट के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे अपीलाण्ट के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे अपीलाण्ट को भारी परेशानियां व कठिनाईयां होगी, इसलिए म्यूटेशन संख्या 4070/03.06.2014 को रद्द करवाने के अपीलाण्ट अधिकारी है इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 4070/03.06.2014 काबिल खारिज किया जावे, जिसे रद्द करवाने हेतु यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। विवादित भूमि का म्यूटेशन संख्या 4070/03.06.2014 की जानकारी अपीलाण्ट को सर्व प्रथम दिनांक 19.12.2021 को होने पर राजस्व कर्मचारी से प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन करने पर दिनांक 21.12.2021 को म्यूटेशन संख्या 4070 की प्रमाणित प्रति अपीलाण्ट को प्राप्त हुई इसलिए म्यूटेशन नकल प्राप्त करने की दिनांक से अन्दर म्याद यह अपील श्रीमान् के समक्ष पेश है व म्यूटेशन पारित दिनांक 03.06.2014 दिनांक 19.12.2021 की अवधि को कण्डोन कर अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में [illegible] है इस बाबत् धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अपील के साथ [illegible] है। विवादित भूमि के लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि [illegible] जैतारण होने से इस अपील में फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है उसके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई। अतः अपीलाण्ट की ओर नामान्तरण अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

संख्या एक द्वारा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को मुगालते में रखकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तण संख्या 4070/03.06.2014 को निरस्त फरमावे व विधिक जांच करने के उपरांत विधिवत् रूप से समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी पुरोहित के हिस्से की भूमि का नामान्तरण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमावे।

अपीलाण्ट ने अपील के साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 पेश कर कथन किया है कि अपील में वर्णित विवादित आराजी अपीलाण्ट को लिखित पंजीबद्ध वसीयत नामा के आधार पर प्राप्त हुई तथा समदरकंवर पत्नी रावतसिंह जी के देहान्त के बाद विवादित भूमि का अपीलांट उपयोग उपभोग करता आ रहा है मगर पारिवारिक अनबन के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या एक गोरधनसिंह द्वारा दिनाँक 19.12.2021 को विवादित कृषि भूमि में अपीलाण्ट को जमीन की खड़ाई बुवाई करने से मना कर दिया, इस पर वादविवाद होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक गोरधनसिंह ने कहा कि समदरकंवर के हिस्से की जमीन मैने अपने नाम दर्ज करवा दी है तथा जमाबन्दी खतौनी मे भी मेरा ही नाम दर्ज है, इस अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 21.12.2021 को राजस्व कर्मचारी में विवादित आराजी की जमाबन्दी खतौनी मय नामान्तरण संख्या 4070 की प्रतियां प्राप्त करने पर सर्व प्रथम अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक गोरधनसिंह ने विवादित जमीन को छलपूर्वक हड़पने की नियत से बाले बाले समदरकंवर पत्नी रावतसिंह के देहान्त के करीबन 1-2 साल बाद ग्राम पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण से अपने पक्ष में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 को स्वीकृत करवा दिया। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही अवैध व गैरकानूनी है तथा अपीलांट की बिना जानकारी से म्यूटेशन से भरा गया। इसलिए दिनाँक 03.06.2014 से दिनाँक 19.12.2021 की अवधि को कण्डोनविद किया जाकर अपीलाण्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मंजूर फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान् ने जवाब अपील पेश किया जो सा0मि0 है। रेस्पोडेन्ट ने जवाब अपील में कथन किया है कि अपील पद संख्या 1 में वर्णित भूमि सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित है जो विवाद रहित है। अपील के पद संक्सा 2 में दर्ज कथनों का जवाब है कि रावतसिंह की मृत्युपरांत विधिक वारिस समदरकंवर को विरासत में प्राप्त होकर उक्त भूमि पैतृक वारिस समदरकंवर को विरासत में प्राप्त होकर उक्त भूमि पैतृक, पुश्तैनी होने से प्राप्त हुई। अपील के पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि समदरकंवर बेवा रावतसिंह जी के वृद्धावस्था में अपीलांट व उनके भाईयों के साथ निवास करने, सेवाचाकरी, कपड़ा-दवाईयां आदि का खर्च अपीलांट द्वारा वहन करने के कथन [illegible] किये है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित [illegible] 8, 460, 461 कुल रकबा 50-01 बीघा तथा खसरा संख्या 419, 4[illegible] के रकबे में से अपने हिस्से की 4/5 [illegible] 1/2 अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट तथा भाईयों को दिनांक 16.11.2000 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

उपपंजीयन अधिकारी के कार्यालय में जरिये वसीयतनामा निष्पादित करने के कथन भी गलत झूठे अंकित किये है। वसीयतनामा समदरकंवर ने उक्त भूमि स्वअर्जित होना बताकर के किया जो भी विरुद्ध कानून के है। उक्त भूमि पैतृक, पुश्तैनी संयुक्त शामलाती खातेदारी की थी जिसे समदरकंवर के साथ अन्य खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपील के पद संख्या 4 में दर्ज कथन गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि को समदरकंवर बेवा रावतसिंह को बतौर उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई इसलिए उनके द्वारा अपीलांट व भाईयों को की गई वसीयत विधिसम्मत नहीं है। समदरकंवर ने उक्त भूमि अपनी स्वअर्जित होना बताया जो भी पूर्णतः गलत है। प्रथमतः अपीलाण्ट व उनके भाईयों को वसीयत ही नहीं की थी तो उनका वसीयत के बाद उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के कथन गलत व झूठे है जबकि समदरकंवर बेवा रावतसिंह ने अपने जीवनकाल में प्रथानुसार सामाजिक रीति रिवाज से रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह पुत्र मोतीसिंह को परिवार, समाज व गांव के लोगो की उपस्थिति में विधिवत् रूप से दिनांक 24.11.2006 को गोद लिया व गोरधनसिंहजी के प्राकृतिक माता गीता व पिता मोतीसिंह ने गोद दिया तथा समदरकंवर ने गोद लिया तथा सभी रस्में प्रथा व रीति रिवाज अनुसार की, वे अपने द्वारा गोदनामा उपपंजीयन कार्यालय जैतारण में निष्पादित करवाया। गोदनामे में यह भी कथन किये कि मेरे पति के जीवनकाल बाल्यावस्था में गोरधनसिंह को लिया व गोदनामा की रस्में पूर्ण की इसलिए उक्त भूमि पर समदरकंवर की मृत्यु होने के बाद अपीलांट व भाई भाई ओमसिंह, राजेन्द्रसिंह का कोई हक अधिकारर प्राप्त नहीं होते है व न ही खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त होते है जबकि पंजीकृत गोदनामे में स्पष्ट रूप से कथन कि "उक्त भूमि/सम्पति पर गोदनामा निष्पादित होते ही मेरे पुत्र के समान हक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।" इस कारण अपीलांट व अन्य भाईयों का अपील में वर्णित भूमि में जो समदरकंवर की खातेदारी की थी, जिसमें गोरधनसिंह के गोद जाते ही अन्य किसी को उक्त भूमि में कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होते है। दिनांक 24.11.2006 को रेस्पोर्डेट संख्या एक के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित हुआ जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर कानूनन रूप से जायज व वैध है जिसे कतई निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। अपील के पद संख्या 5 में दर्ज कथन गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। अपीलांट को वसीयतनामा से उक्त भूमि में कोई अधिकार सर्जित नहीं होते है फिर भी दिनांक 29.12.2021 को कृषि भूमि खड़ाई, बुवाई करने जाने पर रेस्पोर्डेट ने खड़ाई बुवाई करने से मना करना आदि के कथन अपील करने की गर्ज से व रेस्पोर्डेट गोरधनसिंह की भूमि को हड़पने की नियत से अंकित किये जबकि अपीलांट भगवानसिंह को पूर्ण जानकारी है कि रेस्पोर्डेट नम्बर एक जो कि उसका सगा भाई था [illegible] 2006 को जरिये गोदनामा जो उसके पक्ष में निष्पादित हुआ [illegible] गोद लिया व प्राकृतिक पिता मोतीसिंह, माता गीतादेवी ने प्रथा[illegible] रीति रिवाजज्ञनुसार पंजीकृ[illegible] [illegible] बाल्यावस्था में भी की, जिनकी त गोदनामा के पूर्व भी गोदनामा [illegible] समदरकंवर की मृत्यूपरांत फौतदेगी सम्पूर्ण जानकारी थी। गोदनामा के आधार पर ही समदरकंवर की मृत्यूपरांत फौतदेगी म्यूटेशन 4070 दिनांक 03.06.2014 को रेस्पोर्डेट गोरधनसिंह दत्तकपुत्र रावतसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

के नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ तो फिर अपीलांट द्वारा दिनांक 21.12.2021 को सर्वप्रथम म्यूटेशन की जानकारी होने के कथन मात्र अपील में वर्णित भूमि में समदरकंवर के हिस्से की भूमि में विधिवत् रूप से नाम दर्ज हुआ है। अपीलांट की नियत में खोट है जो रेस्पोंडेंट की भूमि गोदनामा व म्यूटेशन होने के आठ वर्षो बाद जो अपील अन्दर म्याद नहीं होने से भी पोषणीय नहीं है। समदरकंवर की मृत्यूपरांत रेस्पोंडेंट गोरधनसिंह के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 को स्वीकृत हुआ जो अवैध व गैरकानूनी नहीं होकर जायज व वैध है तथा रेस्पोंडेंट उक्त भूमि के खातेदार है। अपील के पद संख्या 6 में दर्ज कथनों का जवाब है कि दिनांक 29.11.2000 को कोई वसीयत अपीलांट व भाईयों के पक्ष में नही हुई है। रेस्पोंडेंट गोरधनसिंह के पक्ष में जो गोदनामा निष्पादित हुआ उसमें अपीलांट व अन्य भाईयो का हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तब तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत स्वतः ही निरस्त होने योग्य है तथा पैतृक, पुश्तैनी, शामलाती खातेदारी की भूमि का कानूनन वसीयत होती भी नहीं है। गोरधनसिंह का समदरकंवर के गोद जाने पर उनकी सम्पति में रेस्पोंडेंट का समान अधिकार हो गया व जो म्यूटेशन स्वीकृत हुआ जिसकी सम्पूर्ण जाँच कर रेवेन्यू ऐजेन्सी ने विधिवत् रूप से रेस्पोंडेंट के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किया, जो वैध व जायज होने से म्यूटेशन निरस्त नहीं हो सकता है व न ही अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त होते है। अपील के पद संख्या 7 व 8 में दर्ज कथन गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। अतः जवाब अपील मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावे। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक गोरधनसिंह ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 पेश कर कथन किया है के अपील में वर्णित भूमि का एकमात्र खातेदार गोरधनसिंह है व मौके पर कब्जा काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 19.12.2021 को उक्त भूमि में अपीलाण्ट खड़ाई, बुवाई करने से मना करना, विवाद करना व रेस्पोडेण्ट द्वारा यह कहना कि समदरकंवर ने अपने हिस्से की भूमि जो जरिये गोदनामा के देने के कारण रेस्पोडेन्ट का नाम खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी 21.12,2021 को जमाबन्दी व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति लेने पर प्रथमबार हुई के कथन पूर्णतया गलत है। जबकि अपीलांट रेस्पोंडेंट का भाई था जिसे माता पिता ने समदरकंवर को गोद दिया जिसका पंजीकृत गोदनामा भी दिनाँक 24.11.2006 को हुआ जिसके आधार पर रेस्पोंडेंट गोरधनसिंह के नाम म्यूटेशन संख्या 4070 दिनाँक 03.06.2014 को होने की जानकारी प्रथमबार उक्त भूमि में दिनांक 19.12.2021 को खड़ाई करने को जाना व गोरधनसिंह द्वारा मना करना व कहना कि मुझे समदरकंवर ने गोद लिया तथ खातेदारी म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति दिनांक 21.12.2021 को लेने पर सर्वप्रथम जानकारी होना बताया गलत है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत म्याद का प्रार्थनापत्र आठ वर्ष की देरी होने के कारण पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेंट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
[illegible]

प्रस्तुत साक्ष्य व शपथपत्र को शामिल मिसल किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकरान् की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। हमनें उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. अपीलांट भगवानसिंह द्वारा रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम भू अभिलेख निमाज तहसील जैतारण के वाके आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.1018 हैक्टेयर(50-01 बीघा) खसरा नम्बर 49 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर 0.1538 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उपर्युक्त वर्णित आराजी में श्री रावतसिंह जी पुत्र धूलसिंह कौम पुरोहित निवासी निमाज का 4/5 हिस्सा में से 1/2 वां हिस्से की भूमि मे रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे जिनकी मृत्युपरांत उक्त आराजी उनकी एकमात्र विधिक वारिसान उनकी पत्नी समदरकंवर पत्नी रावतसिंह को प्राप्त हुई। रावतसिंह जी के नाऔलाद फौत होने से तथा वृद्धावस्था के दौरान समदरकंवर बेवा रावतसिंह द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 415, 418, 460, 461 एवं खसरा नम्बर 419, 420 में अपने 4/5 वें हिस्सा में से 1/2 वां हिस्से की भूमि समदरकंवर पत्नी रावतसिंह द्वारा एक लिखित वसीयत नामा दिनांक 16.11.2000 को अपीलाण्ट भगवानसिंह वगैरा के पक्ष में तहरीर तकमील करवाकर उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां दिनांक 22.11.2000 को प्रस्तुत कर पंजीबद्ध करवाया गया। समदरकंवर के देहान्त के पश्चात् लिखित पंजीबद्ध वसीयत नामा दिनांक 22.11.2000 के आधार पर वादीगण खातेदार काश्तकार के काबिज है लेकिन रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह द्वारा उक्त आराजी को छ्लपूर्वक हड़पने की नियत से दिनांक 24.11.2006 को फर्जी एवं कुटरचित गोदनामा निष्पादित करवा समदरकंवर के देहान्त पश्चात् नामान्तरणकरण संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 को स्वीकृत करवा लिया जो की विधि विरूद्ध एवं गलत है। अतः नामान्तरणकरण संख्या 4070 दिनॉक 03.06.2014 को निरस्त कर विधिक जाँच करने के उपरान्त विधिवत् रूप से समदरकंवर पत्नी रावतसिंह पुरोहित के हिस्से की भूमि का [illegible] राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष [illegible] है।

2. अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रार्थनापत्र [illegible] धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 पेश कर इसलिए दिनांक 03.06.2[illegible]4 से दिनॉक 19.12.2021 की अवधि को कण्डोनविद कर अपीलाण्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किए जाने की इस्तदुआं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

3. रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह ने जवाब अपील पेश कर उसमें कथन किया है कि समदरकंवर बेवा रावतसिंह ने अपने जीवनकाल में प्रथानुसार सामाजिक रीति रिवाज से रेस्पोडेंट गोरधनसिंह पुत्र मोतीसिंह को परिवार, समाज व गांव के लोगो की उपस्थिति में विधिवत् रूप से दिनाँक को गोद लिया व गोरधनसिंह के प्राकृतिक माता गीता व पिता मोतीसिंह से गोद लिया तथा दिनाँक 24.11.2006 को रेस्पोडेंट संख्या के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित हुआ जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर कानूनन रूप से जायज व वैध है तथा इसके आधार पर ही नामान्तरणकरण संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 को स्वीकृत हुआ जो अवैध व गैरकानूनी नहीं होकर जायज व वैध है तथा उक्त भूमि के खातेदार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाने की इस्तदुआ की है।।

4. रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुये यह कथन किया कि अपीलांट द्वारा समदरकंवर पत्नी रावतसिंह द्वारा रेस्पोडेंट को गोद लिये जाने की तथ्य तथा पंजीबद्ध वसीयतनामा की जानकारी होने के बावजूद बिना किसी समुचित कारण के अत्यंत देरी से नामान्तरण खारिज करने अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की इस्तदुआ की है।

5. हम प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के विषय पर निर्णित करना आवश्यक समझते है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तरण संख्या 4070 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलम संख्या 14 में यह प्रविष्टि अंकित है कि "खातेदार समदर बेवा रावत पुरोहित दिनांक 13.12.2013 को लाऔलाद फौत खातेदार द्वारा गोरधनसिंह पुत्र मोतीसिंह को गोद लेकर दिनाँक 24.11.2006 को उपपंजीयक कार्यालय जैतारण में पुस्तक सं. 4 जिल्द सं. 6 पृष्ठ सं. 69 क्र.सं. 2006000036 पर गोदनामा पंजीबद्ध करवाने से माफिक पंजीबद्ध गोदनामा व मौतबिरान द्वारा तस्दीक वंशावली के आधार पर दत्तक पुत्र के नाम ना0करण दायर कर जाँच व निर्णय हेतु पेश है।" तथा कॉलम संख्या 09 में "गोरधनसिंह गोदपुत्र रावतसिंह" अंकित करते हुये उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनाँक 06.01.2014 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध वसीयतनामा के अनुसार दिनांक 16.11.2000 को समदरकंवर पत्नी रावतसिंह द्वारा गोरधनसिंह, भगवानसिंह, ओमसिंह, राजेन्द्रसिंह पिसरान मोतीसिंह को वसीयत पत्र लिख कर पूर्व में गोद लिया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत निम्बोल एवं सम्बन्धित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा स[illegible]र बेवा रावतसिंह द्वारा दिनांक 16.11.2000 को किये ग[illegible] की बिना जाँच किये तथा बिना विधिक प्रावधानों का स[illegible]नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 03.06.2014 स्वीकृत किया गया ज[illegible] विधि की दृष्टि से आरम्भत् शुन्य है तथा ऐसी दशा में म्याद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] भू-अभिलेख अधिकारी
[illegible]तारण (पा.)

और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता हैं। अपीलांट द्वारा इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने तथा उसके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से दिनांक 21.12.2021 को पटवारी से वादग्रस्त आराजी की नकल जमाबन्दी खतौनी मय नामान्तरकरण संख्या 4070 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनें पर स्वयं का नाम भू अभिलेख में दर्ज नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में सिर्फ रेस्पोडेन्ट का नाम होने की जानकारी होने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना हम कानूनन उचित समझते है क्योंकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उदेश्य यह होता हैं कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वयं साध्य के रूप में। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम बखूबी साबित होनें से एवं विधि संगत होनें से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझते है।

6. मूल प्रकरण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट के मूल खातेदार रावतसिंह पुत्र धूलसिंह के नाऔलाद फौत होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसान समदरकंवर बेवा रावतसिंह द्वारा दिनांक 16.11.2000 को वृद्धावस्था होने के कारण अपीलांट व उनके भाईयों के पक्ष में लिखित वसीयतनामा निष्पादित कर उपपंजीयन कार्यालय जैतारण में पंजीबद्ध करवाया जिसके अनुसार ''समदरकंवर बेवा रावतसिंह के फौत होने के पश्चात् खातेदार समदरकंवर बेवा रावतसिंह के हक हिस्से की आराजी के हक अधिकार अपीलांट भगवानसिंह व उनके भाई गोरधनसिंह, ओमसिंह, राजेन्द्रसिंह को प्राप्त हो जायेगें'' जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतनामा से स्पष्ट होता है तथा अन्य दस्तावेज ग्राम निम्बोल के नामान्तरकरण रजिस्टर के नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.01.2014 के कॉलम संख्या 14 में यह प्रविष्टि अंकित है कि ''खातेदार समदर बेवा रावत पुरोहित दिनांक 13.12.2013 को लाऔलाद फौत खातेदार द्वारा गोरधनसिंह पुत्र मोतीसिंह को गोद लेकर दिनाँक 24.11.2006 को उपपंजीयक कार्यालय जैतारण में पुस्तक सं. 4 जिल्द सं. 6 पृष्ठ सं. 69 क्र.सं. 2006000036 पर गोदनामा पंजीबद्ध करवाने से माफिक पंजीबद्ध गोदनामा व मौतबिरान द्वारा तस्दीक वंशावली के आधार पर दत्तक पुत्र के नाम नामान्तरकरण दायर कर जाँच व निर्णय हेतु पेश है।'' तथा कॉलम संख्या 09 में ''गोरधनसिंह गोदपुत्र रावतसिंह'' अंकित करते हुये उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत निमाज प्रथम द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनाँक 06.01.2014 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया लेकिन रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2006 को किये गए पंजीबद्ध गोदनामा व नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.01.2014 के सम्बन्ध में किसी प्रकार कोई दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त पंजीबद्ध गोदनामा व नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.01.2014 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत आदि के अभाव में [illegible] में आते है, जिसे अपास्त किया जाना कानूनन उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 4070 दिनांक 06.01.2014 को दस्तावेजी साक्ष्य आदि के अभाव में इसे अपास्त घोषित करते हुये वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में से रैस्पोंडेन्ट संख्या एक ''गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह'' का नाम विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में पूर्व खातेदार समदरकंवर बेवा रावतसिंह का नाम पुनः दर्ज करते हुए पूर्ववर्ती व प्रश्नगत पंजीबद्ध गोदनामा की जाँच कर खातेदार समदरकंवर बेवा रावतसिंह के विधिक वारिसान के नाम प्रावधानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रति तहसीलदार जैतारण को प्रेषित करना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना–पत्र धारा–5, परिसीमा अधिनियम–1963 भली–भाँति साबित एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंबकाल को माफ किया जाता है एवं ग्राम निमाज प्रथम के नामान्तरण संख्या 4070 दिनांक 06.01.2014 को दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अभाव में अपास्त घोषित किया जाता है तथा इसके अनुसरण में वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज प्रथम के खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.1018 हैक्टेयर(50–01 बीघा) खसरा नम्बर 49 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर 0.1538 हैक्टेयर कृषि भूमि के भू अभिलेख में दर्ज ''गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह'' का नाम विलोपित करते हुए पुनः समदरकंवर बेवा रावतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि समदरकंवर बेवा रावतसिंह द्वारा किये गए पंजीबद्ध वसीयतनामा की विधिक जाँच कर उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–ब्यावर)
भू अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

निर्णय आज दिनाँक 21/02/2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–ब्यावर)
भू अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)